की तामील मूल वाद में [illegible]
अभियोजी 1 व 2 का विरुद्ध मूल वाद में एकपक्षीय
कार्यवाही हो चुकी है मूल वाद में अभियोजी
1 व 2 की एकपक्षीय कार्यवाही होने से
इस स्थगन प्रार्थना पत्र में भी एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 16-12-20 को पेश हो

16/12/2020 बार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हो।
25.1.2021

25/1/2021 बार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हो।
11/2/2021

22-3-21 वादीगण उपस्थित। वादीगण के निवेदन पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण का कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता। इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है दिनांक 25-7-2019 का जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो कर निस्तारण मूल वाद सं. 92/19 अनुसार रजिस्टर/दीवानी पत्र रहे।

(अमोल सिंह)